संख्या-394/2017/661/22-2-2017-17(11)/2003

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रम्हा पुत्र श्री बुद्धिसागर, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-9688/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-04.01.2017 दिनांक 28.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 28.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रम्हा पुत्र श्री बुद्धिसागर, निवासी ग्राम सिटकहना, थाना मल्हीपुर वर्तमान रिसिया, जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती का रहने वाला है। बन्दी द्वारा चकरोड बनाये जाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 01.08.1977 को 05 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बल्लम व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए188/1977 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच के आदेश दिनांक 27.09.1978 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.1991 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.05.2016 तक 24 वर्ष 02 माह 11 दिन की अपरिहार एवं 30 वर्ष 01 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी के 03 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ब्रम्हा (बन्दी संख्या-37540) पुत्र श्री बुद्धिसागर, निवासी-जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-394/2017/661/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in